मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक :एफ 9-8/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- सैन्य परिवार पेंशनधारी को सिविल परिवार पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में ।

--•--

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 01(05)/2010 डी (पेंशन/पॉलिसी) दिनांक 17 जनवरी, 2013 द्वारा सेवा निवृत्ति उपरांत केन्द्र या राज्य के किसी विभाग/उपक्रम/स्वशासी संस्था/स्थानीय संपरीक्षा संस्था में पुनर्नियुक्त सैन्य कर्मियों/परिवार के सदस्यों को दोहरी परिवार पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में जारी निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. दिनांक 24 सितम्बर 2012 या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त तथा मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग/उपक्रम/स्वशासी संस्था/स्थानीय संपरीक्षा संस्था आदि में पुनर्नियुक्त सैन्य कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को सैन्य परिवार पेंशन के साथ-साथ राज्य शासन में की गई सेवावधि की सिविल परिवार पेंशन पृथक से भुगतान किये जाने की अनुमति दी जाती है ।

2/ कंडिका -1 की सुविधा 24 सितम्बर 2012 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के प्रकरणों पर भी लागू होगी, परंतु उपरोक्तानुसार दोहरी परिवार पेंशन का वास्तविक आर्थिक लाभ 24 सितम्बर 2012 से देय होगा ।

3/ सैन्य परिवार पेंशन सहित परिवार पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु म.प्र. सिविल सेवायें (पेंशन) नियम-1976 के नियम 47 के उपनियम-15 को विलोपित किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

SUNITA/Priparta/2014
12/18/14

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-8/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग